यालय उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
र्थना –पत्र नम्बर 15/2022
नवान धनजोत सिह बनाम कलवन्त सिह
र्थना – पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) आरटीए

धनजोत सिंह पुत्र जसदीप सिंह आयु 9 वर्ष जरिए कुदरती वली माता प्रीतपाल कौर जाति जटसिख सा. इन्द्रगढ तहसील संगरिया जिला हनुमागनढ़

प्रार्थी

बनाम

1. कलवन्त सिंह पुत्र कौर सिंह जाति जटसिख सा. रासूवाला तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़
2. तहसीलदार राजस्व संगरिया

अप्रार्थीगण

–:आदेश:–

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) आर.टी.एक्ट के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की नाबालिग होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र जरिए कुदरती बली होने के कारण प्रार्थी की माता की ओर से पेश किया गया है। प्रार्थी के नाम चक 9 पीटीपी खाता सं. 52/18 खाता नाबालिग धनजोत सिंह ज.सं. 2071–74 आराजी दर्ज है। जबकि अप्रार्थी सं. 1 के नाम चक 9 पीटीपी खाता सं. 10/10 खाता कलवन्त सिंह ज.सं. 2071–74 में आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। नकल जमाबंदीया पेश है। प्रार्थी के कब्जा काश्त की प्रार्थना पत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी में आने जाने हेतु कोई मंजुरशुदा रास्ता नहीं है। जिसमें प्रार्थी के कब्जा काश्त की चक 9 पीटीपी खाता सं. 52/18 खाता नाबालिग धनजोत सिंह के प.नं. 127/127 मु.नं. 5 के किला नं. 11,12,19,20,21,22 में आने जाने हेतु कोई मंजूरशुदा रास्ता नहीं है। यदि उक्त भूमि को आने जाने हेतु चक 9 पीटीपी खाता सं. 10/10 खाता कलवन्त सिंह में अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज आराजी के प.नं. 127/127 मु.नं. 5 के किला नं. 23,24,25 में पूर्व से पश्चिम पत्थर लाईन के साथ चिपता हुआ दो–दो बिस्वा रास्ता स्वीकृत कर दिया जाता है तो प्रार्थी आसानी से अपने खेत में आ जा सकता है। इसके अलावा प्रार्थी को अपने खेत में आने जाने हेतु कोई रास्ता नहीं है। प.नं. 127/127 मु.नं. 5 किला नं. 23,24,25 अप्रार्थी सं. 1 के कब्जा काश्त में है। प्रार्थी रास्ता में आई आराजी के बदला में आराजी या मुताबिक डीएलसी रेट दोगुनी राशि अदा करने को तैयार है। अतः प्रार्थी इसी मुताबिक रास्ता स्वीकृत करवाने की अधिकारी एवं दावेदार है। यह कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से कई दफा निवेदन किया कि वे प्रार्थीगण के कब्जा काश्त की प्रार्थना पत्र की दफा 3 में दर्ज आराजी में आने जाने हेतु प्रार्थना पत्र की दफा 4 के मुताबिक रास्ता मंजूर करवा देवे तथा प्रार्थीगण उक्त रास्ता की भूमि के बदले में भूमि या मुताबिक डीएलसी रेट दोगुनी राशि देने को तैयार है तो इस पर पहले तो वे टालमटोल करते रहे लेकिन अंत में पिछले सप्ताह अप्रार्थीगण प्रार्थी के उक्त निवेदन से स्पष्ट इनकारी हो गए। यही विनाय प्रार्थना पत्र है। अप्रार्थी सं. 2 को लैण्ड होल्डर होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थना पत्र बाबत मंजूर कराने रास्ता का है जो कि 2/– रूपए के न्यायशुल्क पर पेश है समायत अदालत हाजा व अंदर मियाद है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.07 11:57:43 IST
Reason: SelfAttested

लिहाजा प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना प[illegible]कार किया जाकर चक 9 पीटीपी खाता सं. 10/10 खाता कलवन्त सिंह में अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज आराजी के प. नं. 127/127 मु.नं. 5 के किला नं. 23,24,25 में पूर्व से पश्चिम पत्थर लाईन के साथ [illegible] हुआ दो–दो बिस्वा रास्ता स्वीकृत कर दिया जाता है। उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड में बतौर गै.मु. रास्ता के रूप में दर्ज की जावे व उक्त रास्ता मौका पर चालू करवाया जावे। प्रार्थी उक्त रास्ता की भूमि के बदले भूमि या मुताबिक डीएलसी रेट रास्ता की कृषि भूमि की दोगुना राशि भी भरने को तैयार है। अतः उक्त रास्ता स्वीकृत फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जो शामिल पत्रावली किया गया। इस कार्यालय द्वारा तहसीलदार संगरिया से उक्त रास्ता के प्रकरण को सही रूप से निस्तारण करने एवं मौका की जांच रिपोर्ट चाही जाने पर उन्होने अपने पत्र क्रमांक 319 दिनांक 01.07.2022 द्वारा पक्षकार आपस मे सहमत नही होना व प्रार्थी द्वारा अपने खेत में जाने के लिए मु.न. 05 के किला नं. 23,24,25 पूर्व से पश्चिम पत्थर लाईन के साथ चिपता हुआ 2–2 बिस्वा रास्ता चाहा गया है। प्रार्थी के पास स्वीकृत शुद्वा रास्ता नही है एवं प्रार्थी को रास्ता की अत्यधिक आवश्यकता होना बतलाते हुए अपनी रिपोर्ट भिजवाई गई है।

पत्रावली मे तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, मुताबिक रिपोर्ट रास्ता की अत्यांतिक आवश्यकता है, रास्ता की मांग सुविधा के लिये नही की जा रही है जबकि आवश्यकता होने पर स्वीकृत करवाना चाहता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रार्थना–पत्र प्रार्थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 251 ए के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु "रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता" एवं वैकल्पिक रास्ते का अभाव पर विचारण किया गया। रिपोर्ट तहसीलदार से स्पष्टतया प्रकट होती है कि प्रार्थी की कृषि भूमि चक 09 पीटीपी में काश्त करने बाबत जाने हेतु मन्जूर शुद्वा रास्ते का अभाव होने से रास्ते की आत्यंतिक आवश्कता है। अतः यह रास्ता सुविधा के लिए नहीं अपितु आत्यंतिक आवश्यकता के लिए है। अतः न्यायहित में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए में अप्रार्थी के रकबा में से चक 9 पीटीपी के प.न. 127/127 मु.न. 5 किला न. 23 ता 25 में पूर्व से पश्चिम पत्थर लाईन के साथ चिपता हुआ दो–दो बिस्वा रास्ता डीएलसी की 2 गुणा राशि 15 दिवस में तहसील कार्यालय में नियमानुसार जमा करवाये तथा राशि जमा करवाये जाने के बाद प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत शुमार समझा जावे और इसका अंकन गैर मुमकिन रास्ता के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाकर चालू करवाया जावें। अप्रार्थी को जमा राशि का भुगतान उनके कब्जे अनुसार भू.अ.निरीक्षक की उपस्थिति में हल्का पटवारी द्वारा किया जाना सुनिश्चित करावे, तहसीलदार संगरिया को पालनार्थ लिखा जावें। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

आदेश आज दिनांक 1.08.2024 .....को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.07 11:57:43 IST
Reason: SelfAttested